''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2005—अग्रहायण 11, शक 1927

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2005

क्रमांक एफ 6-38/2004/1-8.—श्री सी. जे. खत्री, अपर संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर की सेवाएं वित्त विभाग से लेते हुए इनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक वित्तीय सलाहकार, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छत्तीसगढ़, मंत्रालय, रायपुर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2005

क्रमांक एफ 2-12/2005/1-8.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16-5-2005 की कंडिका-2 के अनुसार श्री बी. के. सिन्हा (भावसे) को स्थानापन्न सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग पदस्थ किया गया था, श्री सिन्हा की सेवायें उनके मूल विभाग प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर को लौटाई जाती है.

2. श्री के. सुब्रमणियम (भावसे), स्थानापन्न सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ एवं स्थानापन्न सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक सचिव, मा. मुख्यमंत्री एवं सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग पदस्थ किया जाता है.

3. श्री प्रेम कुमार (भावसे), सहायक वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर की सेवायें उनके पैतृक विभाग से लेते हुए, तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक उपसचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक ई-7/35/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5-10-2005 के द्वारा श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा.प्र.से., कलेक्टर, रायगढ़ को दिनांक 10-10-2005 से 22-10-2005 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. श्री विश्वकर्मा द्वारा उक्त स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 20-10-2005 से 22-10-2005 तक (तीन दिवस) का अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं करने के फलस्वरूप उक्त तीन दिवस का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2005

क्रमांक 1058/827/2005/1-8/स्था.—श्री आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग को दिनांक 31-10-2005 से 5-11-2005 तक 6 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 6-11-2005 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गुप्ता को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2005

क्रमांक 1060/830/2005/1-8/स्था.—श्री जयसिंह म्हस्के, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 7-11-2005 से 18-11-2005 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 19 एवं 20-11-2005 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री म्हस्के को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री म्हस्के अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. मंधानी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2005

क्रमांक 1081/1043/2005/स्था./चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 9 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् ;—

"9 (क) नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों को संचालक द्वारा जारी नियुक्ति आदेश की प्राप्ति के एक माह के भीतर सेवा में कार्यग्रहण करना होगा. अन्यथा उनके नाम चयन सूची से विलोपित किये जावेंगे."

Raipur, the 29 October 2005

No. 1081/1043/2005/Estt./IV.—In exercise of the powers conferred by proviso to the Article 309 of Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes following further amendment in the Chhattisgarh Sub-ordinate Accounts Service (Recruitment and condition of service) Rules, 1965, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

After rule 9, the following rule shall be inserted, namely ;—

"9 (A) The persons selected under sub rule (i) of rule 8 shall be required to join the service within one month from the date of receipt of appointment order issued by Director, failing which their name shall be omitted from the select list."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 7612/डी-2310/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन, श्री संदीप बख्शी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 580/दो-2-17/2001/गोप./05, दिनांक 22-9-05 के परिप्रेक्ष्य में राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण, रायपुर में पीठासीन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक परिवहन विभाग को एतद्द्वारा सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2005

अधिसूचना का संशोधन

फा. क्र. 8658/डी-2579/21-ब/छ.ग./05.—इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक 5487/डी-1438/21-ब/छ.ग./05, दिनांक 30-6-05 में राज्य शासन, एतद्द्वारा, तत्काल प्रभाव से निम्न आंशिक संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में शब्द ''जिला एवं'' विलोपित किया जावे.

AMENDMENT OF NOTIFICATION

F. No. 8658/D-2579/XXI-B/C.G./05.—In the department's Notification No. 5487/D-1438/XXI-B/C.G./05, dated 30-6-05, the State Government hereby makes following partial amendment with immediate effect, namely :—

In the said notification, the words "District &" shall be omitted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. गोयल, उप-सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ 1-3/दो/आठ-परि/2002.—विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश पृ. क्र. 7612/डी-2310/21-ब/छत्तीसगढ़/05 रायपुर, दिनांक 26-9-05 द्वारा श्री संदीप बख्शी जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग की सेवाएं परिवहन विभाग को सौपने के फलस्वरूप श्री संदीप बख्शी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण छत्तीसगढ़ रायपुर का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, उप-सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2005

क्रमांक एफ-9-32/दो/गृह/05.—कृषि विभाग के कार्यपालिक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जुलाई, 2005 को प्रश्नपत्र "लेखा-प्रथम (पुस्तकों सहित) द्वितीय प्रश्नपत्र- (बिना पुस्तकों के)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री शिवशंकर सिंह	सहायक संचालक	उच्चस्तर
2.	कु. संध्या अहिरवार	कृषि विकास अधिकारी	निम्नस्तर

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	कु. रेणुका महिलाने	कृषि विकास अधिकारी	निम्नस्तर
4.	श्री राजेश कुमार भारती	कृषि विकास अधिकारी	निम्नस्तर
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
5.	श्री देवेन्द्र कुमार कश्यप	कृषि विकास अधिकारी	निम्नस्तर
6.	श्री रामजी लाल वट्टी	मानचित्रकार	निम्नस्तर
7.	श्री गिरीश कुमार कुलदीप	मानचित्रकार	निम्नस्तर
8.	श्री अजय कुमार मिरी	कृषि विकास अधिकारी	निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक एफ-9-36/दो/गृह/05.—सभी विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 30 जुलाई, 2005 को प्रश्नपत्र "हिन्दी" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	सुश्री सतरूपा साहू	राजस्व निरीक्षक
2.	श्री सुरेश कुमार निगम	राजस्व निरीक्षक
3.	आर. प्रसन्ना	सहायक कलेक्टर
4.	श्री देवेन्द्र कुमार कश्यप	कृषि विकास अधिकारी
5.	श्री रामजी लाल वट्टी	मानचित्रकार
6.	श्री गिरीश कुमार कुलदीप	मानचित्रकार
7.	श्री अजय कुमार मिरी	कृषि विकास अधिकारी
8.	श्री संजय कुमार डहरिया	कृषि विकास अधिकारी

(1)	(2)	(3)
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
9.	श्रीमती अलरमेलमंगेई दी.	सहायक कलेक्टर
10.	श्री अन्बलगन पी.	सहायक कलेक्टर
11.	श्रीमती संगीता पी.	सहायक कलेक्टर

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक एफ-9-37/दो/गृह/05.—सहायक कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकासखण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकासखण्ड अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 29-7-2005 को प्रश्नपत्र ''पंचायतराज विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित)'' विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्रीमती संगीता पी.	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर
2.	श्रीमती अलरमेलमंगेई दी.	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर
3.	श्री अन्वलगन पी.	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर
4.	श्री सुधीर कुमार खलखो	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर
5.	श्री मुन्नालाल वर्मा	अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त	उच्चस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 10 नवम्बर 2005

क्रमांक 9108/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	आरगांव प.ह.नं. 41	2.57	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	जामरी व्यपवर्तन क्र. 2 के निर्माण में दायीं तट नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 नवम्बर 2005

क्रमांक 9109/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	आलीखूंटा प.ह.नं. 43	2.01	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	जामरी व्यपवर्तन क्र. 2 के निर्माण में दायीं तट नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 नवम्बर 2005

क्रमांक 9110/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	बोदेला प.ह.नं. 42	5.55	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	जामरी व्यपवर्तन क्र. 2 के निर्माण में दायीं तट नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 नवम्बर 2005

क्रमांक 9111/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	सिवनी खुर्द प.ह.नं. 42	10.65	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	जामरी व्यपवर्तन क्र. 2 के निर्माण में दायीं तट नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक 9286/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	मुड़पार प.ह.नं. 29	5.52	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	जामरी व्यपवर्तन क्र. 2 दायीं तट नहर कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक 9287/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	पारागांव खुर्द प.ह.नं. 73/12	29.19	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	जामरी व्यपवर्तन क्र. 2 दायीं तट नहर कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक 9288/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	रेंगाकठेरा प.ह.नं. 12	15.06	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	जामरी व्यपवर्तन क्रं. 2 दायीं तट नहर कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक 9289/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	मुंदगांव प.ह.नं. 73/12	10.09	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	जामरी व्यपवर्तन क्र. 2 दायीं तट नहर कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. **मिश्रा**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2005

क्रमांक /क/भू-अर्जन/01/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	बम्हनी	0.865	कार्यपालन अभियंता (सह सदस्य सचिव) परियोजना क्रियान्वयन इकाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जगदलपुर, जिला बस्तर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव, जिला बस्तर एवं कार्यपालन अभियन्ता (सह सदस्य सचिव) परियोजना क्रियान्वयन इकाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2005

क्रमांक /क/भू-अर्जन/2/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	बम्हनी	0.534	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) बस्तर जिला जगदलपुर.	सड़क निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2005

क्रमांक /क/भू-अर्जन/3/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	सोनाबात	0.012	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) बस्तर जिला जगदलपुर.	सड़क निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2005

क्रमांक /क/भू-अर्जन/4/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	कुकाड़कारकापाल	0.534	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) बस्तर जिला जगदलपुर.	सड़क निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2005

क्रमांक /क/भू-अर्जन/5/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	बड़ेकनेरा	0.033	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) बस्तर जिला जगदलपुर.	सड़क निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2005

क्रमांक /क/भू-अर्जन/10/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	बड़ेकनेरा	2.819	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम जलाशय योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2005

क्रमांक /क/भू-अर्जन/27/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	मारकेल	13.05	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	बेदरमुंडा जलाशय योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/कार्यपालन यंत्री, टी. डी. पी. पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक /क/भू-अर्जन/12/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	भण्डारसिवनी	3.336	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कोण्डागांव.	भण्डारसिवनी उद्वहन योजना के नहर नाली हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक /क/भू-अर्जन/6/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	बनियागांव	2.17	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	बनियागांव उद्वहन सिंचाई योजना अन्तर्गत माइनर नहर क्रमांक 1, 2, 3 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव/कार्यपालन यंत्री, टी. डी. पी. पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक /क/भू-अर्जन/13/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	मोहलई	3.217	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कोण्डागांव.	भण्डारसिवनी उद्वहन योजना के नहर नाली हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

क्रमांक/263/ले. पा./भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभा[illegible] है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को [illegible]सके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	देवादा प. ह. नं. 29	2.53	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	अकोली व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत भूमि अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

क्रमांक/264/ले. पा./भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	हसदा प. ह. नं. 36	3.49	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	अकोली व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत भूमि अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 14 नवम्बर 2005

क्रमांक/284/प्र. अ. वि. अ.-1/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	सहसपुर प. ह. नं. 28	3.16	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	राजपुर जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 8 नवम्बर 2005

प्र. क्र. 1-अ 82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	खैरबना	0.617	कार्यपालन अभियंता सुतियापाट परियोजना संभाग, स/लोहारा जिला-कबीरधाम. (छ.ग.)	सुतियापाट परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 8 नवम्बर 2005

प्र. क्र. 2-अ 82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	नरौधी	0.611	कार्यपालन अभियंता सुतियापाट परियोजना संभाग, स/लोहारा जिला-कबीरधाम. (छ.ग.)	सुतियापाट परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 8 नवम्बर 2005

प्र. क्र. 3-अ 82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	सरोधी	0.494	कार्यपालन अभियंता सुतियापाट परियोजना संभाग, स/लोहारा जिला-कबीरधाम. (छ.ग.)	सुतियापाट परियोजना के अन्तर्गत डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

रा. प्र. क्र. 2/ अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधन अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	मझरेटा	0.316	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	मझरेटा-मुण्डादेवरी मार्ग पर आगर नदी, पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2005

रा. प्र. क्र. 1/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों क अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	मुंगेली	1.66	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. सेतु नि. संभाग, बिलासपुर.	मुंगेली शहर के बायपास मार्ग पर पड़ने वाले पुल के पहुंच मार्ग हेतु अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 14 नवम्बर 2005

रा.प्र.क्र./06/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सामरी	बाटा	5.970	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, क्र.-2, अम्बिकापुर.	सरईडीह तालाव एवं नहर निर्माण योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 नवम्बर 2005

क्रमांक 337/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तुमीडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.342 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
46/1	0.004
46/2	0.004
49/3	0.012
351/9	0.008
50/2	0.012
57/1, 56/6 ख	0.004
64/1, 65/1	0.004
299	0.036
74/2	0.002
65/8	0.002
260/1, 261/1	0.012
304, 305	0.077
296/3	0.020
298/1	0.020
298/2, 3	0.008

	(1)	(2)
	56/2	0.109
	65/2	0.008
योग	17	0.342

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- गुड़रू माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 नवम्बर 2005

क्रमांक 338/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बरदुली, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.268 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
392/5	0.024
392/1 ह	0.002
385	0.004
384	0.012
83/2	0.045
121	0.072
89/1	0.004
91/2	0.002
99, 100	0.069
102/2	0.006
123/1	0.028
योग	0.268

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बोइरडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 नवम्बर 2005

क्रमांक 339/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजपु
- (ग) नगर/ग्राम-गुंजियाबोर, प.ह.नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.212 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
85	0.008
87/2	0.004
92	0.016
169/2	0.004
168/1, 168/2	0.008
167	0.045
102/2 क	0.012
162/2, 163/2	0.012
160	0.008
373	0.045
377	0.002
146/1	0.008
141	0.004

(1)	(2)
140/2	0.004
383	0.004
387	0.004
389/2	0.024
योग	0.212

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- भनेतरा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 नवम्बर 2005

क्रमांक 340/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
 (ख) तहसील-डभरा
 (ग) नगर/ग्राम-कंवलाझर, प.ह.नं. 9
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.109 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
585/2	0.024
739/2	0.085
योग	0.109

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- कंवलाझर ब्रांच माइनर सुखापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 नवम्बर 2005

क्रमांक 341/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
 (ख) तहसील-डभरा
 (ग) नगर/ग्राम-गिरगिरा, प.ह.नं. 18
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.254 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
460/8	0.040
654/4	0.016
440/2	0.089
188/1	0.012
120	0.020
353/1	0.065
351/2	0.012
योग	0.254

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- गिरगिरा माइनर एवं ब्रांच माइनर 6 एल 7 आर L/1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 नवम्बर 2005

क्रमांक 342/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-तेन्दुमुड़ी, प.ह.नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.089 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में).
(1)	(2)
314, 315/1	0.008
310/2, 310/4	0.081
योग	0.089

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- सुखापाली मा. नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 नवम्बर 2005

क्रमांक 343/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कटेकोनी छोटे, प.ह.नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.056 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
58/3	0.032
56/5	0.024
योग	0.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- कटेकोनी छोटे माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 नवम्बर 2005

क्रमांक 344/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-तेन्दुमुड़ी, प.ह.नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.173 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
393/2	0.016
391/3, 394/2, 398/2	0.028
391/4	0.129
योग	0.173

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- सुखापाली मा. नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 नवम्बर 2005

क्रमांक 345/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-तुरकापाली, प.ह.नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.214 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
26/1	0.085
28/3	0.024
73/2, 3, 4, 85/1, 2	0.097
122/1, 137/3	0.008
योग	0.214

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- तुरकापाली माइनर नहर. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 नवम्बर 2005

क्रमांक 346/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सुखापाली, प.ह.नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.210 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
85, 92/2	0.081
61	0.012
549/3	0.016
552	0.024
556/2, 558	0.024
556/1	0.041
437/4	0.012
योग	0.210

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- कंवलाझर ब्रांच माइनर आफ सुखापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 नवम्बर 2005

क्रमांक 347/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-फरसवानी, प.ह.नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.117 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1657/7	0.049
1660/2	0.016
2334/2	0.020
2349/2	0.012
2351/1	0.020
योग 5	0.117

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- सिंधरी वितरक नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 नवम्बर 2005

क्रमांक 348/सा-1/सात.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :--

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-हरदी, प.ह.नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.170 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
455/3, 458/6, 456/4	0.097
332/1, 334/2	0.073
योग	0.170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- कुरदा वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 नवम्बर 2005

क्रमांक 349/सा-1/सात.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :--

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कटारी, प.ह.नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.064 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
668/3,4	0.024
669/1	0.008
706/1	0.008
715	0.012
716	0.012
योग	0.064

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- करिगांव माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 नवम्बर 2005

क्रमांक 350/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-दर्राभांठा, प.ह.नं. 7.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.068 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
174/2	0.008
448/3	0.008
457, 460	0.020
176/8	0.016
179/1	0.016
योग	0.068

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- कुरदा वितरक भागोडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 नवम्बर 2005

क्रमांक 1/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-डड़ई, प.ह.नं. 3
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.016 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
62	0.016
योग	0.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- अचानकपुर माइनर नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 नवम्बर 2005

क्रमांक 2/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-तुर्री, प.ह.नं. 13
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.160 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
136/2	0.040

(1)	(2)
214/4	0.012
426/1	0.020
533/2, 536/2	0.036
538	0.032
546/1	0.020
योग	0.160

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- पुटेकेंला उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 नवम्बर 2005

क्रमांक 3/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-नंदौर खुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1072	0.040
योग	0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- घोघरा वितरक नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 नवम्बर 2005

क्रमांक 4/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-नंदौरकला, प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
162/2, 3	0.032
योग	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- घोघरा वितरक नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 नवम्बर 2005

क्रमांक 5/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-चमराबरपाली, प.ह.नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.388 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	7/1	0.040
	23/1	0.053
	23/2	0.025
	248/1	0.024
	274/1	0.061
	280/2	0.080
	335/1	0.057
	336/1	0.048
योग	8	0.388

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- चमराबरपाली माइनर नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 नवम्बर 2005

क्रमांक 6/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-मसनियाकलां, प.ह.नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.607 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	800, 809/1	0.020
	801/3	0.041
	801/2	0.008
	809/2	0.028
	802/2	0.045
	808/2	0.020
	607/1	0.028
	608/1	0.202
	629	0.012
	627	0.008
	610	0.033
	611	0.057
	612	0.105
योग	13	0.607

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- खरसिया शाखा नहर/रतनपाली माइनर नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 नवम्बर 2005

क्रमांक 7/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-सेरो, प.ह.नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.138 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	49/3	0.138
योग		0.138

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- सेरो सब डिस्ट्री.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 14 नवम्बर 2005

क्रमांक 6561/क/भू-अर्जन/ अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

(ख) तहसील-दन्तेवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम-रेंगानार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.58 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2	0.04
	3	0.16
	5	0.07
	6	0.03
	8/1	1.18
	4	0.10
योग		1.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- रेंगानार व्यपवर्तन योजना हेतु नहर/नाली निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 14 नवम्बर 2005

क्रमांक 1 /अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

(ख) तहसील-दन्तेवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम-मसेनार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.081 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
304/1	0.206
297	0.105
304/1	0.304

(1)	(2)
304/1	0.453
303	0.020
304/1	0.222
318	0.113
313/6	0.207
312	0.250
318/1	0.870
315	0.125
314/3	0.040
315/1	0.086
318/1	0.081
योग	3.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- रेंगानार व्यपवर्तन योजना मसेनार.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक /क/भू-अर्जन/11/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-हाटकचोरा, प.ह.नं. 60 (अ)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-20.29 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
74/3	0.75
74/2	0.75
74/1/2	4.48
8/7	0.61
8/6	0.61
8/5	0.22
8/4	0.22
8/3	3.60
8/2	0.84
73/1	2.24
73/2	1.50
74/1/1	4.47
योग	20.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- आवासीय भवनों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर तथा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक /क/भू-अर्जन/15/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चापापदर, प.ह.नं. 43
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.53 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7	0.41
10	0.02
11	0.30
13	0.02
14	0.09
15	0.19
21	0.14
136	0.50
165	0.02
119	0.16
124	0.03
127	0.19
128	0.08
129	0.46
174	0.23
91	0.04
135	0.01
87	0.01
88	0.08
89	0.12
175	0.35
172	0.08
योग	3.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- मूली व्यपवर्तन योजना (मुख्य नहर हेतु)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक /क/भू-अर्जन/17/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कुम्हरावण्ड, प.ह.नं. 43
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.09 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
84	0.33
85	0.09
88	0.17
89	0.20
90	0.02
302	0.08
91	0.01
92	0.07
93	0.07
97	0.07
98	0.04
99	0.03
298	0.29
100	0.29
101	0.36
106	0.37
107	0.26
253	0.67
256	0.34
283	0.17
257	0.05
258	0.02
260	0.17
259	0.09
261	0.01
282	0.13
284	0.02
289	0.01
290	0.33
291	0.11
292	0.09
293	0.07
294	0.14

(1)	(2)
299	0.27
314	0.17
315	0.24
105	0.07
323	0.17
योग 38	6.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- मूली व्यपवर्तन योजना (मुख्य नहर हेतु)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 18 नवम्बर 2005

क्रमांक 2577/प्र.1/अ.वि.अ./05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
(ग) नगर/ग्राम-सुरेगांव, प. ह. नं. 14
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.46 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
69	0.03
112	0.05
113	0.10
114	0.03
118	0.20
127/2	0.05
योग	0.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- टटेंगा, औरी, रानीतराई, झिटिया, सुरेगांव मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2005

क्रमांक 9/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
(ग) नगर/ग्राम-अंधियारखोह
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.571 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
72	0.688

(1)	(2)
74	0.825
217/1	0.910
76	0.154
79	0.024
75	0.405
220	0.243
217/2	0.910
66	0.324
71	0.737
67	1.753
68	0.287
70	0.146
73	0.040
218	0.125
योग 16	7.571

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अंधियारखोह जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2005

क्रमांक 8/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-कोरजा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.322 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
59/47	0.263
59/50	0.202
59/39	0.384
59/40	0.642
64/2, 67/2	0.445
63/3	1.011
63/4	0.688
59/42	2.000
59/46	0.800
59/69	0.300
59/38	0.368
59/22	0.384
63/6	0.946
59/52	0.182
59/34	2.000
59/32	0.640
59/41	1.052
64/1	0.470
67/1	0.145
70	0.243
69	0.263
71	0.101
72	0.162
59/49	0.113
59/21	1.518
योग	15.322

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गांगपुर जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 14 नवम्बर 2005

रा. प्र. क्र./6/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सामरी
- (ग) नगर/ग्राम-बाटा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.970 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
924	0.340
922/1	0.408
930	0.153
917	0.161
953	0.425
942/2	0.162
919	0.378
912	0.080
928	0.198
922/2	0.409
913	0.065
945	0.016
941	0.366
946	1.004
936	0.187
911	0.065
923	0.065
927	0.202
915	0.121
954	0.016
932	0.769
948	0.138
933	0.242
योग 23	5.970

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सरईडीह तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

क्रमांक 2711/स्थापना/रा.मं./2005.--राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में पदस्थ अध्यक्ष एवं सदस्य के मध्य न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई एवं निवर्तन के लिये कार्य-विभाजन की व्यवस्था निम्नानुसार की जाती है.

(एक) राजस्व मण्डल की पीठ

राजस्व मण्डल की दो सदस्यीय पूर्ण पीठ होगी, जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी:—

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल एवं

2. सदस्य, राजस्व मण्डल

(दो) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा-7 के अन्तर्गत अंतर्निहित शक्तियों के क्षेत्राधिकार के प्रकरण एवं अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत प्रकरण

क्रमांक	अध्यक्ष/सदस्य	क्षेत्राधिकार
1.	डॉ. पी. राघवन, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़	राजस्व जिला रायपुर, कवर्धा, जशपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, बस्तर (जगदलपुर) एवं दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)
2.	श्री नारायण सिंह सदस्य, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़	राजस्व जिला बिलासपुर, धमतरी, महासमुन्द, उत्तर बस्तर (कांकेर), जांजगीर-चांपा, सरगुजा (अंबिकापुर) एवं कोरिया (बैकुण्ठपुर)

(तीन) स्थगन आवेदन पत्र

अध्यक्ष अथवा सदस्य की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय के स्थगन आवेदन पत्रों की सुनवाई की व्यवस्था निम्नानुसार की जावेगी.

क्रमांक	अनुपस्थित न्यायालयीन अध्यक्ष/सदस्य	सुनवाई हेतु न्यायालय
1.	डॉ. पी. राघवन, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़	श्री नारायण सिंह, सदस्य, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़
2.	श्री नारायण सिंह, सदस्य, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़	डॉ. पी. राघवन, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़

(चार) विशेष परिस्थिति में प्रकरणों की सुनवाई एवं क्षेत्राधिकार के संबंध में अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ के द्वारा निर्णय लिया जायेगा.

(पांच) प्रकरणों की सुनवाई हेतु नियत दिवस

(एक) डॉ. पी. राघवन, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़	(1) **सर्किट कोर्ट रायपुर** सामान्यतः सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार (2) **राजस्व मण्डल मुख्यालय बिलासपुर में** सामान्यतः माह के प्रथम, तृतीय, चतुर्थ सप्ताह के गुरुवार एवं शुक्रवार को. (3) **सर्किट कोर्ट जगदलपुर** सामान्यतः माह के द्वितीय सप्ताह में गुरुवार, शुक्रवार

(दो)	श्री नारायण सिंह, सदस्य, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़	**राजस्व मण्डल मुख्यालय बिलासपुर में** प्रत्येक सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को **सर्किट कोर्ट रायपुर में** गुरुवार एवं शुक्रवार को

(छै) प्रकरण की सुनवाई हेतु नियम समय

(1) न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई कार्य दिवसों में सामान्यत: प्रात: 11.00 बजे से आरंभ होकर अपरान्ह 2.00 बजे तक.

(2) सामान्यत: शनिवार को प्रकरणों की सुनवाई नहीं होगी.

(सात) दिनांक 1 नवंबर, 2005 से संबंधित जिलों से प्राप्त होने वाले नवीन आवेदनों का पंजीकरण उपरोक्तानुसार कार्य आवंटन आदेश में दर्शाये अनुसार किया जायेगा.

यह व्यवस्था 1 नवंबर, 2005 से प्रभावशील होगी.

(अध्यक्ष महोदय द्वारा आदेशित)

अमृत लाल पाठक,
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 22nd September 2005

No. 573/Confdl./2005/II-15-2/2005.—Shri Hira Singh Markam, District & Sessions Judge, Surguja at Ambikapur, who has been appointed as Judge, Family Court, Raigarh is now posted as II Additional Principal Judge, Family Court, Durg with effect from 1-10-2005.

Bilaspur, the 22nd September 2005

No. 575/Confdl./2005/II-2-1/2005.—The following Members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office; and

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge of the Sessions Division as mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & present designation (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Narsingh Usendi, Additional District & Sessions Judge.	Bhatapara	Durg	Durg	V Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Deepak Kumar Tiwari, Additional District & Sessions Judge.	Raipur	Bilaspur	Bilaspur	III Additional District & Sessions Judge.
3.	Shri Govind Kumar Mishra, III Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).	Ambikapur	Ambikapur	Ambikapur	II Additional District & Sessions Judge.
4.	Shri Lochan Ram Thakur, I Additional District & Sessions Judge.	Jagdalpur	Durg	Durg	VI Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 22nd September 2005

No. 577/Confdl./2005/II-15-21/2000 (Pt. III).—The following Chief Judicial Magistrates/Additional Chief Judicial Magistrates as specified in Column No. (2), who have been appointed on ad-hoc basis as Additional District Judges in Higher Judicial Service to serve in the Fast Track Court vide Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, Raipur Order (Endt.) No. 7332/D-2170/21-B/C.G./05 dated 13-9-2005, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted as Additional District Judges in the Fast Track Courts as specified in Column No. (6) from the date they assume charge of their office; and

The following Judicial Officers are also appointed as Additional Sessions Judges for their respective Sessions Division as specified against their respective names in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & present designation (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Gorelal Sonwani, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Kawardha	Kawardha	Kabirdham	Additional District Judge (F. T. C.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Makardhwaj Jagdalla, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Raigarh	Raigarh	Raigarh	III Additional District Judge (F. T. C.)
3.	Shri Bhuneshwar Ram, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Dantewara	Kanker	Bastar	Additional District Judge (F. T. C.)
4.	Shri Veer Singh Salam, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Janjgir	Bilaspur	Bilaspur	IX Additional District Judge (F. T. C.)
5.	Shri Sanjay Kumar Jaiswal, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Mahasamund	Ramanujganj	Surguja	I Additional District Judge (F. T. C.)
6.	Shri Kanwar Lal Charyani, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Jagdalpur	Ramanujganj	Surguja	II Additional District Judge (F. T. C.)
7.	Shri Jaideep Vijay Nimonkar I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Kanker	Bilaspur	Bilaspur	X Additional District Judge (F. T. C.)
8.	Shri Noordeen Tigala, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Raipur	Raipur	Raipur	IX Additional District Judge (F. T. C.)
9.	Shri Narendra Singh Chawla, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	VIII Additional District Judge (F. T. C.)
10.	Smt. Minakshi Gondaley, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Dhamtari	Durg	Durg	VII Additional District Judge (F. T. C.)
11.	Shri Ram Kumar Tiwari, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Korba	Raipur	Raipur	X Additional District Judge (F. T. C.)
12.	Shri Jagdamba Rai, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Durg	Ambikapur	Surguja	III Additional District Judge (F. T. C.)
13.	Shri Arvind Kumar Verma, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Rajnandgaon	Raipur	Raipur	XII Additional District Judge (F. T. C.)
14.	Shri Rajesh Kumar Shrivastava, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Jashpur-Nagar	Surajpur	Surguja	II Additional District Judge (F. T. C.)
15.	Smt. Sushma Sawant, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Ambikapur	Raipur	Raipur	XIV Additional District Judge (F. T. C.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Shri Doctorlal Katakwar. I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Baikunthpur	Mungeli	Bilaspur	Additional District Judge (F. T. C.)
17.	Shri Ramashankar, III Civil Judge Class-I & A.C.J.M.	Bilaspur	Pendra-Road	Bilaspur	Additional District Judge (F. T. C.)
18.	Shri Reshamlal Kurre, Civil Judge Class-I & A.C.J.M.	Khairagarh	Durg	Durg	VIII Additional District Judge (F. T. C.)
19.	Shri Vijay Kumar Ekka. Civil Judge Class-I & A.C.J.M.	Sakti	Durg	Durg	IX Additional District Judge (F. T. C.)
20.	Shri Rakesh Bihari Ghore, Civil Judge Class-I & A.C.J.M.	Raipur	Raipur	Raipur	VIII Additional District Judge (F. T. C.)
21.	Shri Anand Ram Dhruv, I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I & A.C.J.M.	Durg	Durg	Durg	XI Additional District Judge (F. T. C.)
22.	Shri Ganesh Ram Sande, Civil Judge Class-I & A.C.J.M.	Surajpur	Raigarh	Raigarh	IV Additional District Judge (F. T. C.)

Bilaspur, the 22nd September 2005

No. 579/Confdl./2005/II-15-21/2000 (Pt. III).—The following Ad-hoc Additional District Judges serving in Fast Track Court as spe[illegible] Column No. (2), are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and [illegible] as Additional District Judges in Fast Track Court in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office; and

The following Ad-hoc Additional District Judges serving in Fast Track Court are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division as mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & present designation (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Anthres Topoo III Additional District Judge (F.T.C.)	Surajpur	Durg	Durg	XII Additional District Judge (F. T. C.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Ganpat Rao, IX Additional District Judge (F.T.C.)	Raipur	Durg	Durg	X Additional District Judge (F. T. C.)

Bilaspur, the 22nd September 2005

No. 581/Confdl./2005/II-2-1/2005.—The following Member of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) is transferred and posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assume charge of his office; and

The following Member of Higher Judicial Service is also appointed as Sessions Judge of the Sessions Division as mentioned in Column No. (5) from the date he assume charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & present designation (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Sanman Singh, Presiding Officer, State Transport Appellate Tribunal.	Raipur	Durg	Durg	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 22nd September 2005

No. 583/Confdl./2005/II-3-1/2005.—Shri Blacious Toppo, who has been reverted from the post of Ad-hoc Additional District & Sessions Judge to the post of Civil Judge Class-I-cum-Additional Chief Judicial Magistrate vide Order No. 7083/21-B/C.G./05 dated 3-9-2005 issued by Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, Raipur, is hereby transferred and posted as I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate, Dhamtari, from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 22nd September 2005

No. 588/Confdl./2005/II-3-1/2005.—The following Civil Judges Class-I as specified in Column No. (2) of the table below are hereby promoted and appointed on ad-hoc basis as Civil Judges Class-I-cum-Chief Judicial Magistrates/Additional Chief Judicial Magistrates with the condition that they (except the officer at S. No. I) shall be entitled for the pay of post of civil Judge Class-I-cum-Chief Judicial Magistrate/Additional Chief Judicial Magistrate only after completion of their 4 years' service as Civil Judge Class-I.

The following Judicial Officers are transferred from the place as specified in Column No. (3) to the place specified in Column No. (4) and appointed as Civil Judges Class-I-cum-Chief Judicial Magistrates/Additional Chief

Judicial Magistrates for their respective Revenue Districts mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office, viz. :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Ashok Kumar Sahu, Civil Judge Class-I & J.M.F.C.	Dongargarh	Kawardha	Kabirdham	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
2.	Smt. Anita Dahariya, II Civil Judge Class-I & J.M.F.C.	Mahasamund	Mahasamund	Mahasamund	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
3.	Smt. Suman Ekka, Addl. Judge to Civil Judge Class-I & J.M.F.C.	Bemetara	Rajnandgaon	Rajnandgaon	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
4.	Shri Gokaran Singh Kunjam, Civil Judge Class-I & J.M.F.C.	Gariaband	Dantewara	Dakshin Bastar	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
5.	Shri Phool Singh Penkra, Civil Judge Class-I & J.M.F.C.	Katghora	Janjgir	Janjgir-Champa	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
6.	Shri K. Vinod Kujur, II Civil Judge Class-I & J.M.F.C.	Dhamtari	Kanker	Kanker	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
7.	Shri Rajendra Pradhan, II Civil Judge Class-I & J.M.F.C.	Jagdalpur	Ambikapur	Surguja	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
8.	Smt. Kanta Martin, Addl. Judge to I Civil Judge Class-I & J.M.F.C.	Raigarh	Baikunthpur	Koriya	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
9.	Shri Anand Kumar Singhal, Addl. Judge to I Civil Judge Class-I, Raigarh at Dharamjaigarh.	Dharamjaigarh	Jagdalpur	Bastar	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
10.	Shri Ashok Kumar Lunia, II Civil Judge Class-I & J.M.F.C.	Durg	Bilaspur	Bilaspur	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Shri Suresh Kumar Soni, Addl. Judge to I Civil Judge Class-I Jagdalpur at Kondagaon.	Kondagaon	Jashpurnagar	Jashpur	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
12.	Shri Onkar Orasad Gupta, Civil Judge Class-I & J.M.F.C.	Balodabazar	Durg	Durg	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
13.	Shri Bhisma Prasad Pandey, Addl. Judge to I Civil Judge Class-I, Jagdalpur at Bhanupratappur.	Bhanupratappur	Raigarh	Raigarh	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
14.	Shri Arvind Kumar Sinha, Civil Judge Class-I & J.M.F.C.	Pendra Road	Korba	Korba	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
15.	Shri Balindar Singh Saluja, II Civil Judge Class-I & Spl. Railway Magistrate.	Bilaspur	Raipur	Raipur	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
16.	Ku. Satyabhama Jaiswal III Civil Judge Class-I & J.M.F.C.	Mahasamund	Raipur	Raipur	VI Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
17.	Shri Hemant Kumar Agrawal, III Civil Judge Class-I & J.M.F.C.	Bilaspur	Khairagarh	Rajnandgaon	Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
18.	Shri Rajnish Shrivastava, II Addl. Judge to Civil Judge Class-I & J.M.F.C.	Ambikapur	Bilaspur	Bilaspur	III Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
19.	Shri Anestus Toppo, Civil Judge Class-I & J.M.F.C.	Manendragarh	Surajpur	Surguja	Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
20.	Shri Chandra Kumar Ajgalley, Addl. Judge to I Civil Judge Class-I, Raigarh at Ghargora	Gharghora	Sakti	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
21.	Smt. Neeta Yadav, V Civil Judge Class-I & J.M.F.C.	Raipur	Durg	Durg	I Additional Judge to I Civil Judge Class-I Additional Chief Judicial Magistrate.

Bilaspur, the 23rd September 2005

No. 593/Confdl./2005/I-1-7/2001.—In exercise of the powers conferred under Section 16 (2) of the Advocates Act, 1961 and in supersession of the existing Rules on the subject, the High Court of Chhattisgarh, has framed the following Rules :—

RULES FRAMED BY THE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR, IN EXERCISE OF THE POWERS CONFERED UNDER SECTION 16 (2) OF THE ADVOCATES ACT, 1961

1. The High Court may designate an Advocate as Senior Advocate, if in its opinion, by virtue of his ability and standing at the Bar the said Advocate deserves such distinction.

*Explanation :—The term 'standing at the Bar' means the position of eminence attained by an Advocate at the Bar by vertue of his seniorty, legal acumen and high ethical standards maintained by him, both inside and outside the Court.

2, The name of an Advocate for being designated as a Senior Advocate may be sponsored in any of the following ways :—

(i) by the Chief Justice or any of the Judges of the High Court;
(ii) by an application made by the Advocate desiring to be designated as such.

Provided that in case of (i) above-written consent of the Advocate concerned shall accompany the proposal and in any case the Advocate concerned shall append his certificate that he has not applied to any other High Court for being designated as Senior Advocate and that no application of his has been rejected by the High Court within the period of two years prior to the date of the proposal or application.

3. An Advocate shall be considered for being designated as Senior Advocate only if he has completed forty five years of age and has actually practiced as Advocate for not less than fifteen years, of which 12 years practice should be in any court within the jurisdiction of the erstwhile High Court of Madhya Pradesh or High Court of Chhattisgarh and at least three years practice in the High Court of Chhattisgarh. In calculating the 15 years standing at the Bar services rendered as Judicial Officer shall be taken into consideration.

4. The Advocate to be designated as Senior Advocate should be an Income Tax Assessee for seven years preceding the date of consideration of his case for designation as Senior Advocate and the annual declared gross income from the profession should not be less than 2 lakhs for the past 3 years.

5. (1) The application by an Advocate to desinate him as Senior Advocate shall contain the following particulars :—

1. Name.

2. Qualifications.

3. Date of birth.

4. Permanent Address.

5. Address to which communications are to be sent.

6. Date of enrolment as Advocate and where enrolled.

7. Number in the roll of advocates maintained by the Sate Bar Council and the date on which enrolled.

8. Are you a member of any Association of Lawyers ? If so, give details.

9. Number of years' practice (or judicial service) and in which Court ?

10. Have you specialized in any field of law ? If so, give details.

11. Have you been a chamber junior to any lawyer ? If so, furnish the name of such Lawyer/Lawyers and the period held as such.

12. Is any junior lawyer attached to your chamber ? If so, furnish name of such Lawyer and the period held as such.

13. (i) Since when have you been an assessee under the Income Tax Act in respect of your profession.

(ii) What is the gross income returned for last 3 years and the net income on wich you have been assessed.

14. Are you in the panel or do you hold any office under the State or Central Government ?

15. Reference to any important matter in which you have appeared.

16. Have you had to your credit any Journal ? If so, give details.

17. Have you attended or participated in any seminar/conference relating to law ?

18. Are you connected with any faculty of Law ? If so, give details.

19. Has any application for designation as Senior Advocate been made to the High Court of Chhattisgarh or any other Court before ? If so, with what result ?

20. Are you ordinarily practicing within the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh ?

21. Other information/particulars, if any, including legal aid work.

Date :.................................... Signature of Advocate furnishing information

(2) If the proposal for designation of an Advocate as Senior Advocate is made under clause (i) of Rule 2, by the High Court, the particulars mentioned in clause (5) (1) shall, as far as possible be obtained by the Registry.

6. The proposal for designation, shall be considered at a Full Court Meeting of the High Court.

7. An application once rejected shall not be renewed for another two years.

8. The designation of Senior Advocate shall be liable to be cancelled after due notice in the event of it being found that he has violated any or all of the provisions of the Rules prescribed by the Bar Council of India under Sections 16 (3) and 49 (1) (g) of the Act.

9. On designation of an Advocate as a Senior Advocate or on cancellation of such designation, the Registrar General, shall notify the fact to the Registrar General, Supreme Court, the Bar Council of Chhattisgarh, the Bar Council of India, the Bar Councils of other States in India and to all the District and Sessions Judges subordinate to the High Court.

10. A record of all such decisions shall be maintained in the office of the High Court.

11. Nothing in these Rules shall be construed to curtail the powers of the Hgih Court to relax any requirement under the Rules.

12. On the date of coming into force of these Rules, any existing Rules framed by the High Court under Section 16 (2) of the Advocates Act, 1961 shall stand repealed.

These Rules shall come into force with immediate effect.

Bilaspur, the 23rd September 2005

No. 595/Confdl./2005/II-2-90/2001 (Pt. II).—Shri Alok Jha Member of Higher Judicial Service, presently posted as Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, Bilaspur is appointed as Regisrar (Judicial), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, from the date he assumes charge of his office.

By order of Hob'ble the Chief Justice,
RAM KRISHNA BEHAR, Registrar General

Bilaspur, the 14th Novemberr 2005

No. 646/Confdl./2005/II-3-1/2005.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place mentioned in Column No. (4) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office, viz :—

TABLE

S. No. (1)	Name & present by posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Purshottam Singh Markam, VIII Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Korba	Korba	Civil Judge Class-II, Korba.
2.	Shri Yashvant Kumar Sarthi I Addl. Judge to the Court of I Civil Judge, Class-II.	Bilaspur	Balod	Durg	I Civil Judge Class-II, Balod.
3.	Shri Amrit Karketta, IV Civil Judge Class II.	Durg	Bemetara	Durg	I Civil Judge Class-II, Bemetara.
4.	Shri Yashwant Wasnikar, VII Civil Judge Class-II.	Raipur	Mahasamund	Mahasamund	I Civil Judge Class-II. Mahasamund.
5.	Shri Ajit Kumar Rajbhanu, IX Civil Judge Class-II.	Raipur	Dhamtari	Dhamtari	I Civil Judge Class-II, Dhamtari.
6.	Shri Harish Kumar Awasthi, IV Civil Judge Class-II	Raipur	Kawardha	Kabirdham	Civil Judge Class-II, Kawardha.

Bilaspur, the 14th November 2005

No. 648/Confdl./2005/II-2-1/2005.—The following Members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) are transferred from the place shown in Column No. 3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their offi

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judges for the Sessions Divisions mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & present designation (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Govind Kumar Mishra II Additional District & Sessions Judge.	Ambikapur	Korba	Korba	Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Vijay Bhushan Singh, V Additional District & Sessions Judge.	Raipur	Surajpur	Surguja	Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 14th November 2005

No. 651/Confdl./2005/II-2-1/2005.—The following Member of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) is transferred and posted in the capacity as mentioned in Column No. (3) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & present designation (2)	Posted as (3)
1.	Shri Deepak Kumar Tiwari, III Additional District & Sessions Judge, Bilaspur.	1 Additional District & Sessions Judge, Bilaspur.

By order of the High Court,
RANGNATH CHANDRAKAR, Registrar (Vigilance).